

क्रमांक : एफ2(9458)/डीओआईटीएण्डसी / 2021

जयपुर, दिनांक:

**आदेश**

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(9458)/डीओआईटीएण्डसी / 2021 / 03449 / 2022 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा श्री फहद खान पुत्र रघु, श्री रियाजुद्दीन खान को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में सूचना सहायक के पद पर वेतन श्रेणियां 5200-20200 (10) में दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये राशि रुपये 18,500/- पर नियत पारिश्रमिक के अन्तर्गत प्रोवेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश की अनुपालना में श्री फहद खान ने कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-खाजूवाला, बीकानेर में दिनांक 30.05.2022 को मध्याह्न पूर्व सूचना सहायक के पद पर कार्यग्रहण किया।

तत्पश्चात् इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2(1587) डी.ओ.आई.टी./संस्था / 13 / 00340 / 2024 दिनांक 05.02.2024 के अनुसार श्री फहद खान, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन) द्वारा नियुक्ति आदेश की शर्तानुसार कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है।

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम) / 2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में श्री अनिल नागर, सूचना सहायक का कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की नियमित वेतन श्रेणियां पी.बी-1 (5200-20200) की ग्रेड पे-2800 (ग्रेड पे सं.-10) का शिड्यूल-1 (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26,300/- एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है.-

| क्र. सं. | मेरिट नं. | सूचना सहायक का नाम | वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय                                  | प्रथम कार्यग्रहण दिनांक | परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक | निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक |
|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2         | 3                  | 4                                                                 | 5                       | 6                                                | 7                                                                                        |
| 1        | डीडीपी    | श्री फहद खान       | सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-खाजूवाला, बीकानेर | 30.05.2022              | 29.05.2024                                       | 30.05.2024                                                                               |

उक्त कार्मिक का वेतन आहरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं स्थाईकरण के आदेश, वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त कार्मिक की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2024 होगी।

**(संजय जगदीश कर्णिक)**  
**संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष**

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
- उप शासन सचिव/सहायक शासन सचिव, कार्मिक (क-2), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर।
- प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री फहद खान, सूचना सहायक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-खाजूवाला, बीकानेर।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष**  
KARNIK <sjkarnik.doit@rajasthan.gov.in>

आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर-302005, दूरभाष : 8687578  
वेबसाइट <https://www.doitc.rajasthan.gov.in>, ई-मेल- oic.estt@rajasthan.gov.in  
Digitally Signed by : Sanjay Jagdish Karnik  
Designation : Joint Secretary  
Date : 09-07-2024, 10:02:07